अनिल और अन्य

बनाम

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

19 जनवरी, 2018

[मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्तिगण ए0 एम0 खानविलकर और डॉ0 डी0 वाई0 चंद्रचूड़]

*मोटर वाहन – दुर्घटना – मुआवजे के लिए दावा – ट्रैक्टर ने मृतक को कुचला – अधिकरण ने माना कि दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी और मुआवजा दिया – उच्च न्यायालय ने अधिकरण के अधिनिर्णय को उलट दिया – अपील पर, निर्णय: यह परिस्थिति कि मृतक का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है – तथ्य यह है कि लगभग एक महीने तक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, इस मामले में एक महत्वपूर्ण चूक है – इसके अलावा, चोटों की प्रकृति से यह इंगित करने के लिए अस्पताल का कोई अभिलेख नहीं था कि मौत कथित प्रकृति की दुर्घटना के कारण हुई थी – उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा की गई प्रत्येक परिस्थिति अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुआवजे के दावे का समर्थन करने के लिए एक झूठा मामला स्थापित किया गया था।*

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीडब्ल्यू –1 दो अन्य लोगों (पीडब्ल्यू 2 सहित) के साथ एक ट्रैक्टर में आगे बढ़ रहा था, जब मृतक ने ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया। हालांकि, ट्रैक्टर ने मृतक को कुचल दिया। अधिकरण ने पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 2, कथित चश्मदीद गवाहों और धारा 279/304–ए के तहत दर्ज एफआईआर के साक्ष्य के आधार पर कहा कि दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण हुई थी और मुआवजा दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अधिकरण के फैसले को पलट दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत का

निर्णय : 1. अपील में, उच्च न्यायालय ने दावेदारों द्वारा मामले के वर्णन से सामने आए कई "व्यथित करने वाले तथ्यों" के बारे में सार्थक रूप से विस्तार से बताया है। यह परिस्थिति कि कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, इस मामले का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे उच्च न्यायालय के साथ उचित रूप से तौला गया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने पाया कि यदि ट्रैक्टर में तीन यात्री थे, जिनमें से सभी को पता था कि चालक ने अपने लापरवाही पूर्ण कृत्य से मृतक को कुचल दिया था, तो सबसे स्वाभाविक आचरण शिकायत दर्ज करना होगा। मरने वाला व्यक्ति ट्रैक्टर के मालिक का भाई था। इसलिए, यह तथ्य कि लगभग एक महीने तक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, इस मामले में एक महत्वपूर्ण चूक है। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि चोटों की प्रकृति से यह इंगित करने के लिए अस्पताल का कोई अभिलेख नहीं था कि मौत कथित रूप से एक दुर्घटना के कारण हुई थी। मृतक अपने भाई के साथ ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था और इनकम टैक्स करदाता था। इस पृष्ठभूमि में उचित चिकित्सीय अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के तथ्य को उच्च न्यायालय द्वारा विचार में लिया गया है। [पैरा 3] [323–डी–ई; 324–सी–एफ]

2. उच्च न्यायालय द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उनमें से प्रत्येक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुआवजे के दावे का समर्थन करने के लिए एक झूठा मामला स्थापित किया गया था। अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा सबूतों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और निकाले गए निष्कर्षों को विस्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। [पैरा 4] [324–जी–एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3291–3292 वर्ष 2011.

क्रॉस ऑब्जेक्शन नंबर 57–सीआईआई वर्ष 2006 और एफएओ संख्या 1357 वर्ष 2001 (ओ एंड एम) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के दिनांक 06.09.2010 के निर्णय और आदेश से ।

ऐश्वर्या भाटी, विश्वजीत, सुश्री डब्ल्यूवीटी संगम, अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

पी. पी. नायक, अजय पाल, सुश्री भूपिंदर, सुश्री वंदना एम. हुड्डा, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

**डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति.** 1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर 2010 के अपने फैसले से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रेवाड़ी के 6 फरवरी 2001 के एक फैसले को पलट दिया। अधिकरण ने अपीलकर्ताओं को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 21,38,000 रुपये का मुआवजा दिया। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अधिनिर्णय को पलट दिया कि अपीलकर्ताओं ने "खुलेतौर पर झूठा मामला स्थापित किया था ... बीमित व्यक्ति के वाहन की नकली भागीदारी का प्रबंधन करते हुए"।

2. मृतक राम कंवर के नाम का व्यक्ति था। उसका भाई सतबीर सिंह ट्रैक्टर का मालिक था। पी.डब्ल्यू.1 भवानी शंकर के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले दावेदारों का मामला यह था कि 12 जनवरी 1995 को वह रोहतास और घनश्याम (पी.डब्ल्यू. 2) नामक दो अन्य लोगों के साथ सहजाहपुर से गांव जाट बहरोड के लिए धर्मपाल द्वारा संचालित ट्रैक्टर में आगे बढ़ रहे थे। राम कंवर ने ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया। हालांकि, ट्रैक्टर को तेज और लापरवाही से चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, यह राम कंवर को कुचल गया। कथित चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू. 1 और पी.डब्ल्यू. 2 के सबूतों के अलावा अधिकरण ने राम कंवर के खिलाफ दंड संहिता की धारा 279/304–ए के तहत दर्ज प्राथमिकी का हवाला दिया। यह मानते हुए कि दुर्घटना हुई थी और यह ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण हुई थी, अधिकरण ने इस प्रकार कहा:

> "राम कंवर की एफ.आई.आर. प्रदर्श PA मृत्यु रिपोर्ट प्रदर्श PW 8/1 और याचिकाकर्ता के नेतृत्व में पुष्ट सबूतों से, यह रिकॉर्ड पर साबित होता है कि दुर्घटना 12.1.95 को ट्रैक्टर नंबर 12 के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी। RNL–2499 के ड्राइवर प्रतिवादी नंबर 1 धर्मपाल और दुर्घटना में राम कंवर की मौत हो गई। तदनुसार, इस मुद्दे को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तय किया जाता है।''

3. अपील में, उच्च न्यायालय ने दावेदारों द्वारा मामले के वर्णन से सामने आए कई "व्यथित करने वाले तथ्यों" के बारे में महत्वपूर्ण विस्तार से बताया है। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के प्रासंगिक पहलुओं पर इस प्रकार ध्यान दिया है:

"2. दावेदारों द्वारा मामले के वर्णन से परेशान करने वाले तथ्य सामने आते हैं। इस मामले में मृतक राम कंवर था और उसका भाई सतबीर सिंह ट्रैक्टर का मालिक था। पी.डब्ल्यू.–1 भवानी शंकर, जो एक प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करता है, ने कहा कि वह रोहतास और घनश्याम (पी.डब्ल्यू. 2) नामक दो अन्य व्यक्तियों के साथ धर्मपाल द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर में सवार थे। बताया जाता है कि राम कंवर भी उसी ट्रैक्टर में बहरोड से शाहजहांपुर गया था और किसी काम से फोलादपुर में उतरा था और चालक से वापसी पर उसे लेने के लिए कहा। ट्रैक्टर शाम करीब 6.30 बजे वापस लौट रहा था और मृतक राम कंवर सड़क पर खड़ा था। जब उसने ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया, तभी ट्रैक्टर ने तेज और लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए मृतक को कुचल दिया। बताया जाता है कि वह ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया था। मृतक को तुरंत कोटपूतली के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे अत्यधिक खून बह रहा था। अस्पताल में मौजूद डॉ. ओ. एस. मेहरा (पी.डब्ल्यू.4) ने इस तथ्य को ओपीडी पर्ची (प्रदर्श P.2) में दर्ज किया है और कहा है कि मृतक को गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि मृतक की मौत गुड़गांव के अस्पताल में हुई थी या उसकी मौत सरकारी अस्पताल, कोटोपुतली में ही हुई थी। बेशक, कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था।''

गौरतलब है कि कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि हालांकि दुर्घटना 12 जनवरी 1995 को हुई थी, लेकिन शिकायत 15 फरवरी 1995 को दर्ज की गई थी। ड्राइवर के साक्ष्य के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि एक स्तर पर उसने कहा था कि मृतक को मृत लाया गया था, दूसरे स्थान पर उसने कहा कि उसे आगे के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया था। यह परिस्थिति कि कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, मामले का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हमारे विचार में उच्च न्यायालय के साथ उचित रूप से तौला गया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने पाया कि यदि ट्रैक्टर में तीन यात्री थे, जिनमें से सभी को पता था कि चालक धर्मपाल ने अपनी लापरवाही से राम कंवर को कुचल दिया था, तो सबसे स्वाभाविक आचरण शिकायत दर्ज करना होता। मरने वाला व्यक्ति ट्रैक्टर के मालिक का भाई था। इसलिए, यह तथ्य कि लगभग एक महीने तक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, इस मामले में एक महत्वपूर्ण चूक है। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि चोटों की प्रकृति से यह इंगित करने के लिए अस्पताल का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि मौत कथित रूप से एक दुर्घटना के कारण हुई थी। मृतक अपने भाई के साथ ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था और इनकम टैक्स असेसी था। इस पृष्ठभूमि में उचित मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के तथ्य को उच्च न्यायालय के साथ तौला गया है। उपरोक्त पहलुओं के अलावा, उच्च न्यायालय ने पाया है कि अधिकरण द्वारा मुआवजे का आकलन विकृत है।

4. उच्च न्यायालय के निर्णय और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, हमें उच्च न्यायालय के फैसले से अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं मिलता है। अधिकरण के अधिनिर्णय में निहित तर्क लापरवाह था। अधिकरण मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा, जो इस सवाल पर असर डालते हैं कि क्या राम कंवर की मौत ट्रैक्टर के कारण हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी। उच्च न्यायालय द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उनमें से प्रत्येक अंतिम निष्कर्ष पर है कि मुआवजे के दावे का समर्थन करने के लिए एक झूठा मामला स्थापित किया गया था। अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा सबूतों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और निकाले गए निष्कर्षों को विस्थापित करने में सक्षम नहीं हैं।

5. उपरोक्त कारणों से, हम पाते हैं कि अपीलों में कोई गुण नहीं है, इनको तदनुसार खारिज किया जाता है । कोई कीमत नहीं होगी।

अंकित ज्ञान अपीलें खारिज.

**अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
**Advocate**
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733